

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2024-चैत्र 30, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आईना शर्मा पुत्री श्री आनंद प्रकाश शर्मा, निवासी-हरिओम कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर है. यह कि मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरी माताजी का नाम VEERA SHARMA (वीरा शर्मा) अंकित है जो कि गलत है जबकि मेरी माताजी का सही नाम BEERVATI SHARMA (बीरवती शर्मा) है, जो कि उनके आधार कार्ड में दर्ज है जो कि सत्य व सही है.

आवेदिका

(आईना शर्मा)

पुत्री श्री आनंद प्रकाश शर्मा.

(G-815)

नाम परिवर्तन

मैं, सगुप्ता खान पत्नी शईद खान, सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरा पूर्व का नाम शादमा खॉन था जो मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, सगुप्ता खान पत्नी शईद खान के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम शादमा खॉन के स्थान पर सगुप्ता खान लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(शादमा खॉन)

नया नाम

(सगुप्ता खान)

पता-वार्ड नं. 12, पोस्ट चंदला,

जिला छतरपुर (म. प्र.)

(G-816)

नाम परिवर्तन

मैं, गोविन्द सिंह सिसौदिया तनय श्री शिवराज सिंह सिसौदिया, निवासी— वन विभाग चौराहा के पास मामौन दरवाजा, टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ (म. प्र.).

मेरे पुत्र कृष्ण किशोर सिंह सिसौदिया (KRISHNA KISHOR SINGH SISODIA) के शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड में कृष्ण किशोर सिंह सिसौदिया के स्थान पर कृष्णा किशोर सिसौदिया गलत अंकित हो गया है जबकि मेरे पुत्र का सही नाम कृष्ण किशोर सिंह सिसौदिया है, जो उसके अन्य दस्तावेजों में अंकित है. अतः सही नाम कृष्ण किशोर सिंह सिसौदिया के नाम से जाना-पहचाना दर्ज किया जावे.

प्रार्थी,

(गोविंद सिंह सिसौदिया)

(G-817)

नाम परिवर्तन

मैं, इस्माइल खां (ISMAIL KHAN) पुत्र शमशाद खां, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम राजू खां (RAJU KHAN) था. जो मेरी बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, इस्माइल खां पुत्र शमशाद खां के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ एवं जाऊंगा. जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. राजू खां एवं इस्माइल खां दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी बीमा पालिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राजू खां के स्थान पर इस्माइल खां लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(राजू खां)

नया नाम

(इस्माइल खां)

पुत्र शमशाद खां

पता—मरघट पहाड़ी, सिंधिया नगर,

ग्वालियर (म. प्र.)

(G-818)

नाम परिवर्तन

मैं, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती आत्मज श्री स्वामी अभयानंद, निवासी—ग्राम रम्पुरा, तहसील देवरी, जिला रायसेन (म. प्र.).

मेरे आधार कार्ड में मेरा अंग्रेजी में नाम भूलवश (Swami purnanand Sarawati) अंकित हो गया है जो कि मेरा सही नाम नहीं है. मेरा सही नाम अंग्रेजी में (Swami Purnanand Saraswati) है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम (Swami Purnanand Saraswati) के नाम से जाना एवं पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(स्वामी पूर्णानंद सरस्वती)

(Swami purnanand Sarawati)

नया नाम

(स्वामी पूर्णानंद सरस्वती)

(Swami Purnanand Saraswati)

आत्मज श्री स्वामी अभयानंद

(G-819)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेश पाटीदार पिता मांगीलाल पाटीदार, निवासी—म. नं. 115, ग्राम प्रीतमनगर, तह व जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा पूर्व नाम भेरुलाल पिता मांगीलाल रहा है, जो उक्त भेरुलाल पिता मांगीलाल नाम मेरे राजस्व अभिलेख दस्तावेजों में दर्ज है. जबकि मुझ प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में सुरेश पाटीदार पिता मांगीलाल पाटीदार नाम दर्ज है और इसी नाम से मुझे जाना-पहचाना जाता है. भेरुलाल पिता मांगीलाल और सुरेश पाटीदार पिता मांगीलाल दोनों ही नाम मेरे ही होकर एक व्यक्ति के नाम हैं. भविष्य

में मेरे सभी शासकीय / अशासकीय, राजस्व दस्तावेजों में मेरा नाम सुरेश पाटीदार पिता मांगीलाल पाटीदार लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (भेरुलाल) (Bherulal)	नया नाम (सुरेश पाटीदार) (Suresh Patidar)
(G-820) S/o Mangilal	S/o Mangilal Patidar.

नाम परिवर्तन

मैं, साहिल सगर आत्मज पूनम सगर निवासी-वार्ड क्र. 26 - बी. टी. आई. रोड, नर्मदापुरम. मेरे आधार कार्ड पर संकित सगर का नाम आ रहा है. जो त्रुटिपूर्ण है.

प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम साहिल सगर लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे.

(G-821)	प्रार्थी (साहिल सगर)
---------	-------------------------

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित हो कि मैं अभिमन्यु वर्मा आत्मज श्री राम सिया वर्मा निवासी- वार्ड नं. 1, जिला पंचायत कार्यालय के सामने, कोतमा रोड, अनूपपुर जिला- अनूपपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम त्रिशिका वर्मा (Trishika Verma) है, उसके जन्म प्रमाण पत्र में भी यही नाम अंकित है जबकि त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में उसका नाम ऋषिता वर्मा (Hrishita Verma) अंकित हो गया है जोकि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम त्रिशिका वर्मा (Trishika Verma) है उसे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए.

(G-822)	अभिभावक (अभिमन्यु वर्मा) आत्मज श्री राम सिया वर्मा.
---------	---

नाम परिवर्तन

मैं, उदयपाल सिंह आत्मज श्री चक्रधर सिंह निवासी-लालता चौक, तिलक टॉकीज के पास, वार्ड क्रमांक 8, कोटहा, सीधी मध्यप्रदेश. मेरे द्वारा खरीदे गये शेरों और अन्य अभिलेखों में प्रचलित नाम यू. पी. सिंह या वी.पी.सिंह के नाम पर दर्ज होकर जारी हो गये थे, जो गलत है. मेरा सही नाम उदयपाल सिंह आत्मज श्री चक्रधर सिंह है, जो मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड में अंकित है. प्रकाशन उपरांत मुझे इसी नाम से पढ़ा लिखा एवं जाना जाय.

पुराना नाम (यू. पी.सिंह या वी.पी.सिंह)	नया नाम (उदयपाल सिंह)
(G-823)	

नाम परिवर्तन

मैं विनय कुमार सिंह आत्मज श्री उदयपाल सिंह, निवासी-लालता चौक, तिलक टॉकीज के पास, वार्ड क्रमांक 8, कोटहा, सीधी मध्यप्रदेश. मेरे द्वारा खरीदे गये शेरों और अन्य अभिलेखों में प्रचलित नाम विनय सिंह परिहार के नाम पर दर्ज होकर जारी हो गये थे, जो गलत है. मेरा सही नाम विनय कुमार सिंह आत्मज श्री उदयपाल सिंह है, जो मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड में अंकित है. प्रकाशन उपरांत मुझे इसी नाम से पढ़ा लिखा एवं जाना जाय.

पुराना नाम (विनय सिंह परिहार)	नया नाम (विनय कुमार सिंह)
(G-824)	

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सारिका बाई गुलाबराय था जो अब बदल कर सारिका पिन्जानी (Sarika Pinjani) पति श्री राकेश कुमार पिन्जानी (W/o Rakesh Kumar Pinjani) हो गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सारिका बाई गुलाबराय)
(Sarika Bai Gulab Rai)

नया नाम

(सारिका पिन्जानी)
(Sarika Pinjani)
(W/o Rakesh Kumar Pinjani)

(G-825)

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि विवाह पूर्व मेरा नाम मिथलेश शर्मा पिता हरीदास शर्मा था तथा मेरा यही नाम मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज, अंकित है. मेरा विवाह अमित शर्मा के साथ संपन्न होने उपरांत मैंने अपना नाम परिवर्तित नाम मैथिली शर्मा (MAITHILI SHARMA) पति अमित शर्मा रख लिया है. अतः भविष्य में मैथिली शर्मा (MAITHILI SHARMA) पति अमित शर्मा नाम से सम्बोधित जानी पहचानी जावे.

(G-826)

(मैथिली शर्मा)

पति-अमित शर्मा,

पता-456/5, सर्वहारा नगर, इन्दौर (म. प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, चिंकी सिंह पत्नी श्री प्रमोद कुमार सिंह एवं पुत्री रतन सिंह आयु वयस्क, निवासी- मकान न. 109, रिगल कस्तुरी, रिगल टाउन, अवधपुरी नजदीक सिविक सेंटर, हुजूर, भोपाल म.प्र.

यह कि पूर्व में मेरा नाम सीता देवी (Sita Devi) था जिसे मेरे द्वारा परिवर्तित कर चिंकी सिंह (Chinki Singh) कर लिया गया है. अब मैं चिंकी सिंह (Chinki Singh) के नाम से ही जानी एवं पहचानी जाती हूँ तथा मेरा यही नाम भविष्य में समस्त दस्तावेजों एवं कार्यालयीन उपयोग हेतु प्रयोग करूंगी.

पुराना नाम

(सीता देवी)
(Sita Devi)

नया नाम

(चिंकी सिंह)
(Chinki Singh)

(G-827)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती कांता भाटिया पत्नी स्वर्गीय श्री जितेंद्र भाटिया, पता-ए-58, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भोपाल में मेरे पति जितेंद्र भाटिया का पी पी एफ का खाता डाकघर बैंक खाते में त्रुटिवश मेरा नाम दिव्या भाटिया अंकित हो गया है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम कांता भाटिया अंकित है जो सही है. प्रकाशन उपरांत सही नाम कांता भाटिया लिखा, पढ़ा, दर्ज किया जावे.

भवदीय

(कांता भाटिया)

(G-828)

उपनाम परिवर्तन

मैं, परम माहेश्वरी पिता संजय माहेश्वरी निवासी सी / 114, पुरानी इंदिरा कॉलोनी शहर तहसील व जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ मेरे शालेय अभिलेख एवं अन्य समस्त दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, पेनकार्ड में मेरा उपनाम "मणियार" अंकित चला आ रहा है जबकि मेरा वास्तविक जन्म प्रमाण पत्र अनुसार उपनाम "माहेश्वरी" है तथा इस उपनाम परिवर्तन के उपरांत मेरे समस्त शासकीय / अर्धशासकीय दस्तावेजों के रूप में मेरा नवीन वास्तविक परिवर्तित उपनाम "माहेश्वरी" के रूप में पढ़ा एवं समझा जावे तथा भविष्य में, मैं अपने पूर्व उपनाम "मणियार" के स्थान पर परिवर्तित उपनाम "माहेश्वरी" का ही उपयोग करूंगा

पुराना नाम

नया नाम

(परम मणियार)

(परम माहेश्वरी)

(G-829)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रजनी गुप्ता पत्नी अखलेश कुमार गुप्ता निवासी-ग्राम गंज तहसील राजनगर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश.

यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमति रजनी रावत दर्ज है जबकि मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रजनी गुप्ता दर्ज है यह दोनों नाम मेरे स्वयं के ही हैं. मेरा सही नाम श्रीमती रजनी गुप्ता पत्नी अखलेश कुमार गुप्ता भविष्य में लिखा एवं पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(रजनी रावत)

(रजनी गुप्ता)

पत्नी-अखलेश कुमार गुप्ता

(G-830)

CHANGE OF NAME

It is for general information that, I PUSHPENDRA PATIL S/o RAM GOPAL PATIL R/o H. No. A-93, Tulsi Parisar Awadhपुरi, Bhopal. I have changed my father name R G Patil to Ram Gopal Patil which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirement in this connection.

Old Name

New Name

(R G PATIL)

(RAM GOPAL PATIL)

(G-831)

CHANGE OF NAME

I DEEPALI UJJAINKAR W/O DILIP KUMAR UJJAINKAR, R/o 183-C, Suryadev Nagar, Indore (M.P.) hereby declare that I have changed my Name as SHOBHANA UJJAINKAR W/O DILIP KUMAR UJJAINKAR. So from now on and in future I will be known by my new name as SHOBHANA UJJAINKAR W/o DILIP KUMAR UJJAINKAR for all future purposes.

Old Name

New Name

(DEEPALI UJJAINKAR)

(SHOBHANA UJJAINKAR)

(G-832)

CHANGE OF NAME

This is to inform publicly that, I, T.G SHASHI KUMAR KOLAKULAM NARAYANAN GOPALAKRISHNA PILLAI, R/o-1970 Napier town, Jabalpur (M.P) do hereby solemnly affirm that My Name was written as T.G SHASHI KUMAR in my son's SHARATH KUMAR Educational Documents, which is incorrect. That my concern Name is T.GSASI KUMAR, which is correct name.

Henceforth, from this date, My Name T.GSASI KUMAR should be read, write and recorded in my son's SHARATH KUMAR, Educational Documents, Government Records and other concern documents in future.

Old Name

(T.G SHASHI KUMAR)

(G-833)

New Name

(T.G SASI KUMAR)**CHANGE OF NAME**

I, SUDHA YAGNIC D/o ANOOP SHARMA R/o 118/1, Anand Nagar Extension Chitawad Road, Indore (M.P.) have changed my name to Kaashi Bajaj and shall here after be known As Kaashi Bajaj W/ o Manish Bajaj for all future purposes.

Old Name

(Sudha Yagnic)

D/o Anoop Sharma.

(G-834)

New Name

(Kaashi Bajaj)

W/o Manish Bajaj.

CHANGE OF NAME

This is to inform publicly that, I, Devendra Kumar Gupta, R/o H. No. B-7, Veterinary College Campus, South civil lines, Jabalpur (M. P.) do solemnly affirm and declare that My Daughter Name was mistakenly recorded in the AADHAR CARD As YASHI GUPTA but the correct name is DIVITA GUPTA.

My Daughter correct Name is DIVITA GUPTA should be recorded in Government and other concern Records.

(Devendra Kumar Gupta),

Father.

(G-835)

CHANGE OF NAME

I, Hereby declare that, my correct name is Manju Lata Agrawal but in my share certificate my name is written Manju Agarwal, So now I want to do correction in this like Manju Agarwal To Manju Lata Agrawal. Henceforth in all of my documents my name will be written and read Manju Lata Agrawal.

Old Name

(Manju Agarwal)

(G-836)

New Name

(Manju Lata Agrawal)36 Arjun Paltan Main Road,
Jinsi, Indore (M.P.)

CHANGE OF NAME

I, AVINASH THAKUR HAS CHANGED MY NAME TO AVINASH SINGH THAKUR, THEREFORE I WILL BE READ AND KNOW AS AVINASH SINGH THAKUR.

Old Name

(AVINASH THAKUR)

(G-837)

New Name

(AVINASH SINGH THAKUR)

DK- A/33-2, KOLAR ROAD,
DANISH KUNJ, ANNEXE, HUZUR
NEAR HOTEL SUKH PALACE,
BHOPAL (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, यशोदा मीणा पति राकेश मीणा, निवासी- 40 मोतीलाल नेहरू मार्ग, फ्रीगंज रोड, रतलाम, (म. प्र.)

मेरा पूर्व में नाम योगिता मीणा (YOGITA MEENA) था जबकि मेरा वास्तविक नाम यशोदा मीणा (YASHODA MEENA) है. अतः भविष्य में मुझे यशोदा मीणा (YASHODA MEENA) के नाम से जाना, पहचाना जाये.

पुराना नाम

(योगिता मीणा)
(YOGITA MEENA)

(G-838)

नया नाम

(यशोदा मीणा)
(YASHODA MEENA)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय सेना में मेरा नाम जितेन्द्र अंकित है, परंतु मेरे समस्त दस्तावेज जैसे आधार, पेन, वोटर आईडी कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम जितेन्द्र महाजन अंकित है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत जितेन्द्र महाजन के नाम से पढ़ा, समझा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(जितेन्द्र)

(G-839)

नया नाम

(जितेन्द्र महाजन)

ग्राम बंभाड़ा, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम वाणी प्रमोद ठाकुर पुत्र श्री वाणी ठाकुर नत्थू जो कि शैक्षणिक एवं रेलवे सेवा पुस्तिका में अंकित है. जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में प्रमोद ठाकुर वाणी पुत्र श्री ठाकुर नत्थू वाणी अंकित है. अतः अब मुझे प्रमोद ठाकुर वाणी के नाम से लिखा, पढ़ा एवं जाना जाये.

पुराना नाम

(वाणी प्रमोद ठाकुर)

(G-840)

नया नाम

(प्रमोद ठाकुर वाणी)

पिता का नाम : श्री ठाकुर नत्थू वाणी
पता: एम. आई. जी.-251, फेस-2,
साई फॉरच्यून सिटी सोना सावरी, इटारसी
जिला-नर्मदापुरम.

नाम परिवर्तन

मैं, रामकुमार श्रीवास सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का नाम आशिकी श्रीवास (Ashiqi shrivas) है, परंतु आधार में त्रुटि से अनामिका श्रीवास अंकित हो गया है जो की गलत है. प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को आशिकी श्रीवास (Ashiqi Shrivass) के नाम से सभी शासकीय / अर्धशासकीय / अन्य दस्तावेजों में जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए.

(रामकुमार श्रीवास)

(G-841)

पिता

पता-68/2, ठठेवरा ग्राम पंचायत धरमपुरा,
जनपद पंचायत नौगांव, जिला छतरपुर (एम. पी.)

नाम परिवर्तन

मैं, चित्रा अग्रवाल उर्फ चित्रा मोहनलाल बंसल पत्नी स्व. श्री मोहनलाल अग्रवाल यह कि मेरा नाम चित्रा अग्रवाल है एवं सभी दस्तावेजों में मेरा नाम चित्रा अग्रवाल के नाम से ही दर्ज है लेकिन गोत्र बंसल होने से मैं, अपने नाम के आगे चित्रा बंसल भी लिखती हूँ. चित्रा अग्रवाल और चित्रा बंसल दोनों ही नाम मेरे ही हैं. भविष्य में मुझे चित्रा अग्रवाल के नाम से ही जाना जाए.

पुराना नाम

(चित्रा बंसल)

नया नाम

(चित्रा अग्रवाल)

निवासी-सेक्टर-ई 34 / 35,

तुलसी नगर, इन्दौर (म. प्र.)

(G-842)

PUBLIC NOTICE

(U/S. 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)

As per Section 72 of the Indian Partnership Act, with effect from 28-03-2024 (1) Mrs. Nainy Shah (2) Mr. Chirag Jain (3) Mr. Pravinkumar Shantilal Mate (4) Mr. Virendra Shantilal Mate (5) Mr. Anurodh Upadhyay (6) Mrs. Anubhuti Upadhyay (7) Mr. Sukhjeet Kaur Matharu (8) Mrs. Sapna Singh Tomar was admitted into the partnership of the mentioned firm M/S. Su-Madhur-Bhashini Business Consultancy, 208-209, Ganesh Puri (Near Khajrana Temple), Indore, M.P. with effect from 18-03-2024. Now (1) Mrs. Suruchi Pachori, (2) Mrs. Pratibha Katare (3) Mrs. Nainy Shah (4) Mr. Chirag Jain (5) Mr. Pravin kumar Shantilal Mate (6) Mr. Virendra Shantilal Mate (7) Mr. Anurodh Upadhyay (8) Mrs. Anubhuti Upadhyay (9) Mr. Sukhjeet Kaur Matharu (10) Mrs. Sapna Singh Tomar are working partners of the firm.

For M/s. Su-Madhur-bhashini business Consultancy

(SURUCHI PACHORI)

(G-843)

Partner.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म राजमार्ग बिल्डर्स एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो 15, बी-पंचायत भवन प्रथम तल, ए.बी. रोड गुना में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-40-01-00049-09 दिनांक 16-07-2009 है, जिसमें दिनांक 31-03-2024 को भागीदार भगवत सिंह रघुवंशी पुत्र श्री गोपाल सिंह रघुवंशी, निवासी- जगदीश कॉलोनी गुना (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं.

फर्म-राजमार्ग बिल्डर्स एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर,

(ब्रजेश सिंह रघुवंशी)

भागीदार.

(G-844)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स शिवा एसोसिएट्स जो आर.आर. रेजीडेन्सियल माल, बिरथरे वाली गली के पास, गोपीनाथ की पुलिया, जिला मुरैना (म. प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-44-01-0061-21, दिनांक 21 जून 2021 है. जिसमें दिनांक 12-04-2024 को भागीदार श्री संतोष शर्मा पुत्र श्री सियाराम शर्मा, निवासी-45, बडोखर शासकीय स्कूल के पास, मुरैना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 12-04-2024 को भागीदार

श्री मुकुल दुबे पुत्र श्री राकेश कुमार दुबे, निवासी—जे. एस. पब्लिक विद्यालय वाली गली, वनखंडी रोड, जिला मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं।

मेसर्स शिवा एसोसिएट्स,
(कौशल किशोर सिंघल)
भागीदार.

(G-845)

आम सूचना

मेरे पक्षकार आकाश कोठारी पिता राजकुमार कोठारी निवासी—313, अरावली अपार्टमेंट, अजंता टॉकिज रोड, रतलाम (म.प्र.) भागीदार ग्रीन स्काय, रजिस्टर्ड ऑफिस 8/9, शिवपुर कम्पाउण्ड, डॉ. जागोटिया के पास, रतलाम से प्राप्त प्रतिबोधन एवं निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार की भागीदारी फर्म ग्रीन स्काय, रजिस्टर्ड ऑफिस 8/9 शिवपुर कम्पाउण्ड, डॉ. जागोटिया के पास रतलाम के नाम से रजिस्टर्ड है। उक्त फर्म के रजिस्ट्रेशन के समय फर्म में कुल तीन भागीदार थे, जो क्रमशः इस प्रकार हैं— कृति पितलिया पिता अरुण पितलिया, निवासी चांदनीचौक, रतलाम, (म. प्र.) आकाश कोठारी पिता राजकुमार कोठारी निवासी— 313, अरावली अपार्टमेंट, अजंता टॉकिज रोड, रतलाम (म. प्र.) एवं श्रीमती बबीता श्रीवास्तव पति श्री राजेश श्रीवास्तव, निवासी—फ्लेट नं. 311, अरावली अपार्टमेंट, अजंता टॉकिज रोड, रतलाम (म. प्र.) थे। उक्त फर्म में से भागीदार कृति पितलिया पिता अरुण पितलिया, दिनांक 25-11-2023 को रिटायर हो चुकी हैं। जिसके संबंध में रिटायर्डमेंट डीड भी सम्पादित की जा चुकी है। इसलिये फर्म में, वर्तमान में दो भागीदार आकाश कोठारी पिता राजकुमार कोठारी, श्रीमती बबीता श्रीवास्तव पति श्री राजेश श्रीवास्तव बचे होकर उक्त दोनों भागीदारों द्वारा उक्त फर्म को वर्तमान में संचालित किया जा रहा है तथा कृति पितलिया का उक्त फर्म में जो भी अंश व हिस्सा था वह सब दिनांक 25-11-2023 को सर्व सहमति से सेटल कर दिया गया है। दिनांक 25-11-2023 से कृति पितलिया फर्म में भागीदार नहीं रही हैं। अब निवृत्तमान भागीदार कृति पितलिया का फर्म से कोई भी लेनदेन नहीं रहा है उक्त भागीदारी फर्म में हुआ संशोधन, दिनांक 25-11-2023 से प्रभावशील है।

(निशांक जैन)

(G-846)

हाइकोर्ट एडवोकेट
घाँस बजार, रतलाम.

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मेसर्स भायल, राठौर एंड कंपनी, दमोह, 119, एस.पी.एम नगर, दमोह एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका पंजीयन क्र. 6/10/0175/19 सन् 2019-20 है जिसके पार्टनर गोविंद भायल पिता रूपा जी भायल व सोमेश राठौर पिता सुदामा प्रसाद राठौर थे, जिसमें से एक पार्टनर सोमेश राठौर निजी कारणों से उक्त फर्म से दिनांक 01/12/2023 से बाहर हो रहे हैं तथा उसी दिनांक को सोमेश राठौर के स्थान पर दो पार्टनर 1. श्रीमती रामसखी भायल पति गोविंद भायल 2. अमित सिंह पिता साहब सिंह दोनों निवासी 119, एस.पी.एम. नगर, दमोह को पार्टनर बनाया गया है। इस प्रकार उक्त पार्टनरशिप फर्म में भायल, राठौर एंड कंपनी 119, एसपीएम नगर, दमोह में कुल तीन पार्टनर हैं।

अतः आज दिनांक 01-12-2023 से रामसखी भायल एवं अमित सिंह ठाकुर, भायल राठौर एण्ड कंपनी में दोनों पार्टनर रहेंगे।

सूचनाकर्ता

पार्टनरशिप—भायल राठौर एण्ड कंपनी
गोविंद भायल (पार्टनर)
पता— 119, एसपीएम नगर, दमोह.

(G-847)

नाम परिवर्तन

मैं, ANITA DUBEY W/O MAHESH DUBEY, R/o.-C-1, TULSI PARISAR, PHASE-1, NEAR AWADHPURI, BHOPAL (M.P.) की हूँ, यह कि मेरे SHARE CERTIFICATE में मेरा नाम NEETA M DUBEY दर्ज है एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम ANITA DUBEY दर्ज है। जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम NEETA M DUBEY दर्ज है उसके स्थान पर मेरा नाम ANITA DUBEY पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम

(NEETA M DUBEY)

(G-848)

नया नाम

(ANITA DUBEY)

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं**

न्यायालय, पंजीयक सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालाघाट, मध्यप्रदेश

रा.प्र.क्र./1बी-113(1)-2023-24

ग्राम-बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 22 मार्च 2024

क्र.-253-प्रस्तुतकार-2-2024.-यह कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सोहन वैद्य पिता श्री कस्तुरचंद वैद्य, वार्ड नम्बर 17, मेन रोड, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा "गौतम लक्ष्मी निधि ट्रस्ट बालाघाट" पता-जैन स्थानक भवन मेन रोड, बालाघाट (म.प्र.) के पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 22 अप्रैल 2024 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार पर लिया जावेगा.

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव करने का आशय रखते हुए न्यास की सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होवे. उपरोक्त अवधि में अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

(G-849)

गोपाल सोनी, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

रा.प्र.क्र.-बी-113(1)-2023-24.

हरसूद, दिनांक 5 फरवरी 2024

प्रारूप चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं

मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

क्र.-क-वाचक-1/2024-526.-जैसा कि जय हनुमान आस्था समिति पिपल्या भावलिया खालवा, तहसील खालवा, जिला खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 7 मार्च, 2024 को विचार किया जायेगा.

उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम :	"जय हनुमान आस्था समिति पिपल्या भावलिया खालवा, तहसील खालवा, जिला खण्डवा
चल सम्पत्ति :	निरंक
अचल सम्पत्ति :	निरंक

आज दिनांक 5 फरवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के अधीन जारी किया गया.

(G-850)

पुरुषोत्तम कुमार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगावली, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र.20113-23-24.

अशोकनगर, दिनांक 12 मार्च 2024

मंदिर श्री हनुमान जी मलखावनी बाबड़ी, मुंगावली,
जिला अशोकनगर (म.प्र.).

बनाम

मध्यप्रदेश शासन एवं सर्वसाधारण.

इस विज्ञप्ति द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक मंदिर श्री हनुमान जी मलखावनी बाबड़ी, मुंगावली की ओर से अध्यक्ष महेन्द्र सिंह पुत्र शिवराज सिंह तथा सचिव, अवधेश चौबे पुत्र श्रीकिशन चौबे द्वारा इस न्यायालय में मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 25 के अन्तर्गत लोक न्यास प्र. क्र. 228 बी 113-1974-75, आदेश दिनांक 2-5-1978 के मृत न्यासियों के स्थान पर नवीन न्यासियों की नियुक्ति के पंजीयन बावत् आवेदन प्रस्तुत किया है.

कि जिसमें संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के अनुसार कुल 6 सदस्यों को ट्रस्ट के मृत सदस्यों के स्थान पर नवीन सदस्य नामित किया गया है व अनुसूची क्रमांक 2 व 3 के अनुसार न्यास की चल-अचल सम्पत्तियों की विवरणी मूल्यांकन सहित पेश की गई है.

कि इस बावत् जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह अपनी लेखी आपत्ति स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 25 अप्रैल 2024 को दिन के 11 बजे प्रस्तुत करे, वाद गुजने मियाद कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी व प्रकरण में विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही की ओर न्यायालय अग्रसर होगा.

यह आम विज्ञप्ति आज मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

संलग्न-अनुसूची क्रमांक 1 से 4

अनुसूची क्रमांक-1

क्रमांक	पद	नाम	पिता का नाम	निवास स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सदस्य	दिनेश चौबे	श्रीकृष्ण चौबे	मुंगावली
2.	सदस्य	रामसेवक शर्मा शास्त्री	नन्दलाल शर्मा	मुंगावली
3.	सदस्य	किशोरीलाल तिवारी	रतिराम तिवारी	मुंगावली
4.	सचिव	अवधेश चौबे	श्रीकृष्ण चौबे	मुंगावली
5.	सदस्य	मनोज पटैरिया	देवीप्रसाद पटैरिया	मुंगावली
6.	सदस्य	राजेश श्रीवास्तव	वारेलाल श्रीवास्तव	मुंगावली

अनुसूची क्रमांक-2

(न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण)

क्रमांक	नाम सम्पत्ति	संख्या	मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जगन्नाथ स्वामी जी की मूर्ति	03	21000/-
2.	श्री राम जानकी की मूर्ति अष्ट धातू की दो जोड़ी	03	25000/-
3.	गरुड़ धण्टी	05	700/-

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	दीपक आरती	05	1100/ -
5.	बड़ा घण्टा	01	5100/ -
6.	छोटी घण्टी	06	4100/ -
7.	पूजन थाली	15	2800/ -
8.	पोशाक	15	35000/ -
9.	मुकुट हनुमान जी का	01	21000/ -
10.	पुराण वड़े	06	4200/ -
11.	परात पीतल की	01	900/ -
12.	थाली पीतल की	01	300/ -
13.	लोटा -4 व गिलास -10	14	600/ -
14.	थाली तांबे की	03	700/ -
15.	तस्तरी पीतल की	05	500/ -
16.	कटोरी पीतल की	05	300/ -
17.	भगोना	02	2100/ -
18.	पंच पात्र	02	210/ -
19.	घड़ियाल	02	900/ -
20.	पेटी	01	1200/ -
21.	सिंहाशन	01	7000/ -
22.	टंकी	02	2200/ -
23.	ताले	10	500/ -
24.	तसला	04	300/ -
25.	पटली	10	4000/ -
कुल योग -			141710/ -

अनुसूची क्रमांक-3

(न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण)

क्रमांक	नाम सम्पत्ति	संख्या	मूल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धर्मशाला	01	400000/ -
2.	निज मंदिर दो मंजिला व कमरा	01	400000/ -
3.	बगिया व बारण्डरी	01	150000/ -
4.	कमरा व चबूतरा	01	120000/ -
5.	कमरा व पाटोर का कमरा	01	120000/ -

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	कमरा व पाटोर का कमरा	01	150000/ -
7.	दहलान व चौखड़ी और खम्बा	01	230000/ -
8.	जीना व कमरा	01	70000/ -
9.	बगिया में कमरे	03	230000/ -
10.	बगिया में कुओं	01	120000/ -
11.	आम, जामफल, वील, जामुन, खिन्नी, सीताफल व बांस के वृक्ष	15	25000/ -
कुल योग			2015000 / -

अनुसूची क्रमांक-4

(न्यास को सूचित करने वाले प्रस्ताव की सूची)

क्रमांक (1)	प्रस्ताव दिनांक (3)
1.	प्रस्ताव दिनांक 23-7-2019 की सत्य प्रतिलिपि मय नक्शा
	23-7-2019

(G-851)

वरुण अवस्थी, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
सोहागपुर, दिनांक 3 जनवरी 2024

(प्रारूप क्रमांक-4)

यतः कि, श्री राजेश कुमार गुप्ता आत्मज स्व. राममित्र गुप्ता, केसरवानी वेल फेयर ट्रस्ट मध्यप्रदेश वार्ड नम्बर 21 मकान नम्बर 499 नरसरहा रोड ग्रीन सिटी के पास शहडोल (म.प्र.) सचिव न्यासी केसरवानी वेलफेयर ट्रस्ट मध्यप्रदेश जिला शहडोल ने लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन एवं संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्याय के रूप में पंजीयन किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा राजपत्र में प्रकाशन हेतु सूचना-पत्र दिया जाता है. कि कथित-आवेदन-पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 5-2-2024 को समय 10.30 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

अतः तत्संबंध में किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख को व्यक्तिशः अथवा अभिकर्ता, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो. उपरोक्त अवधि के अवासान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अतः आज दिनांक 2 जनवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

अनुसूची

- लोक न्यास का नाम व पता : न्यासी केसरवानी वेलफेयर ट्रस्ट मध्यप्रदेश जिला शहडोल, (म.प्र.)
पता-अनिल कुमार गुप्ता आत्मज स्व. श्री रामकृपाल गुप्ता, श्री रामकुटीर प्रेस कालोनी वार्ड नम्बर 11 कोतवाली के पीछे शहडोल, म.प्र. 484001.
- अचल सम्पत्ति का विवरण : निल
- चल सम्पत्ति : निल

4. उद्देश्य

: केशरवानी समाज के होनहार छात्र/छात्राओं के उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु आवश्यकतानुसार आर्थिक सहयोग प्रदान करना एवं उनकी क्षमताओं के विकास की योजना बनाकर क्रियान्वयन करना. प्राकृति आकस्मिक आपदाओं एवं गंभीर बीमारियों पर केशरवानी समाज के लोगों की यथा संभव आर्थिक सहायता करना. केशरवानी समाज के युवक युवतियों के विवाह के लिए मंच तैयार करना व आवश्यकतानुसार यथा संभव सहयोग करना.

5. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र

: सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राजस्व सीमा.

(G-852)

अरविंद शाह, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर (नगरीय) एवं पंजीयक लोक न्यास, जिला सतना मध्यप्रदेश

प्रारूप क्र. 4

[नियम-5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक सतना के समक्ष.

यतः कि डा. रामायण प्रसाद गर्ग तनय मुरली मनोहर गर्ग, निवासी-रायल स्टेट फ्लैट नं. 203, आयुष्मान हास्पिटल के बगल से खजुरी टोला पुष्पराज कॉलोनी सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 20-3-2024 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | |
|-----------------|---|
| 1. न्यास का नाम | : "आदि शक्ति मां दुर्गा धार्मिक न्यास" |
| 2. न्यास का पता | : रायल स्टेट फ्लैट नं. 203, आयुष्मान हास्पिटल के बगल से खजुरी टोला पुष्पराज कालोनी सतना, तह. रघुराजनगर. |
| 3. अचल सम्पत्ति | : मौजा रोड, तहसील नागौद की आ. नं. 308, 309 एवं 504/1 |
| 4. चल सम्पत्ति | : 11,000-00/(ग्यारह हजार रुपये) |

प्रारूप क्र. 5

[नियम-5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, नीरज खरे, लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 20-3-2024 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 20-3-2024 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

(G-853)

प्रारूप क्र. 4

[नियम-5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक सतना के समक्ष.

यतः कि रामस्वरूप त्रिपाठी तनय त्रिलोकराम त्रिपाठी, निवासी-एम. पी. नगर, सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 16-4-2024 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. न्यास का नाम | : "डॉ. राकेश कुमार त्रिपाठी परमार्थिक न्यास" |
| 2. न्यास का पता | : बालाजी हास्पिटल, जवाहर नगर गली नं. 01 (पतेरी रोड) पत्ती गोदाम के पास, सतना (म.प्र.). |
| 3. अचल सम्पत्ति | : मौजा महदेवा की आ. नं. 60/1/2/2 रकबा 0.0290 का अंश रकबा 100 वर्गफीट. |
| 4. चल सम्पत्ति | : 10,000.00 (दस हजार रुपये) |
| 5. न्यास का कार्यक्षेत्र | : सम्पूर्ण जिला सतना एवं जिला अनूपपुर (म.प्र.). |

प्रारूप क्र. 5

[नियम-5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक सतना के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, नीरज खरे, लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 16-4-2024 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 16 अप्रैल 2024 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

(G-854)

नीरज खरे, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश
प्र.क्र.-0006-बी-113(1)-2022-23. खण्डवा, दिनांक 13 मार्च 2024

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं
मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र.-रीडर-1-2024-930.-जैसा कि देवीदास पटेल पिता मोतीराम, निवासी दोंदवाड़ा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु (म.प्र.) सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951, की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 17 अप्रैल 2024 को विचार किया जायेगा.

(2) उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

- सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : 'रेवा गुर्जर समाज मांगलिक भवन न्यास, ग्राम दोंदवाड़ा',
तहसील व जिला खण्डवा.
- चल सम्पत्ति : 2,00,000/- नगदी (शब्दों में दो लाख) एवं समाज के बर्तन
अनुमानित मूल्य 3.00 लाख रुपये.
- अचल सम्पत्ति : 1. भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नंबर 349/2 रकबा 0.02 हे.
अनुमानित किमत 10.00 लाख रुपये.
2. भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नंबर 351/2 रकबा 0.05 हे.
अनुमानित किमत 5.00 लाख रुपये.

(G-855)

बजरंग बहादुर सिंह, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

रा.प्र.क्र.-3-बी-113(1)-2023-24

मौजा-छिन्दवाड़ा रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा
तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).
तारीख पेशी 9 मई 2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 अप्रैल 2024

प्रारूप-पांच

[नियम 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) द्वारा]

क्र.-1595-अ.वि.अ.-री-1-2024.-चूंकि श्री संतोषी माता जनकल्याण समिति (नगर शक्ति पीठ) छिन्दवाड़ा की ओर से अध्यक्ष धीरज शुक्ला पिता स्व. हीरेन्द्र शुक्ला, उम्र 54 वर्ष, निवासी-मैन रोड, गोलगंज छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 9 मई 2024 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अतः मैं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/लोक न्यास अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा के लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 9 मई 2024 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ

अतः एलद्वारा सूचना दी जाती है, कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्याय या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि को समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

श्री संतोषी माता जनकल्याण समिति (नगर शक्ति पीठ) छिन्दवाड़ा, अचल सम्पत्ति मंदिर एवं भवन.

(G-856)

रा.प्र.क्र.-3-बी-113(1)-2023-24

मौजा-छिन्दवाड़ा रा.नि.म. छिन्दवाड़ा
तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.),
तारीख पेशी 9 मई 2024

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) द्वारा]

चूंकि श्री संतोषी माता जनकल्याण समिति (नगर शक्ति पीठ) छिन्दवाड़ा की ओर से अध्यक्ष धीरज शुक्ला पिता स्व. हीरेन्द्र शुक्ला, उम्र 54 वर्ष, निवासी-मैन रोड, गोलगंज छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
1.	चल सम्पत्ति	चांदी के जेवर बैंक खाते में जमा राशि	1 किलो 200 ग्राम 12,00,000/-
2.	अचल सम्पत्ति	मंदिर एवं भवन	

(G-857)

सुधीर कुमार जैन, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास अनुभाग राऊ, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 19 मार्च 2024

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस-1951) की धारा 4 के अन्तर्गत]

क्र. 1731-री.राऊ-2024.-श्रीराम मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्रीराम मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट
पता	:	श्रीराम तेजाजी चौक, 275, पिगडम्बर, इंदौर
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	11,000/-

आज दिनांक 19 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-858)

विनोद राठौर, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 28 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-252.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था. कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मालपुरा	DR/UJN/1861/26-8-2016

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः, मैं, के. पाटनकर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम (4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मालपुरा.	DR/UJN/1861/26-8-2016	श्रीमती स्वर्णलता दलाल, (सहकारी निरीक्षक)

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-859)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-253.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कानाखेडी	DR/UJN/1883/21-10-2014

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः, मैं, के. पाटनकर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन (म.प्र.). सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम (4)
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कानाखेडी.	DR/UJN/1883/21-10-2014	श्री वीरधवल जडे, (सहकारी निरीक्षक)

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-860)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-254.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निम्बोदियाकलां	DR/UJN/1891/21-10-2014

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः, मैं, के. पाटनकर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन (म.प्र.). सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की

धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम (4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निम्बोदियाकलां.	DR/UJN/1891/21-10-2014	श्री वीरधवल जडे, (सहकारी निरीक्षक)

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-861)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-255.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नजरपुर	DR/UJN/2390/5-1-2018

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः, मैं, के. पाटनकर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन (म.प्र.). सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम (4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नजरपुर.	DR/UJN/2390/5-1-2018	श्री वीरधवल जडे, (सहकारी निरीक्षक)

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-862)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-256.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बीरमखेडी	DR/UJN/830/25-2-1989

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः, मैं, के. पाटनकर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन (म.प्र.). सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम (4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बीरमखेडी.	DR/UJN/830/25-2-1989	श्री अशोक शर्मा, (उप अंकेक्षक)

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-863)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-257.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)
1.	वनखेतीहर मजदूर कामगार तथा कारीगरो की सहकारी संस्था मर्यादित, रूपेटा	DR/UJN/1206/4-8-1994

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः, मैं, के. पाटनकर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन (म.प्र.). सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम (4)
1.	वनखेतीहर मजदूर कामगार तथा कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, रूपेटा.	DR/UJN/1206/4-8-1994	श्री एस. एल. चौहान, (सहकारी निरीक्षक)

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-864)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-258.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था. कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)
1.	त्रिवेणी जैविक एवं उद्यानिकी सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	DR/UJN/2321/14-9-2016

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः, मैं, के. पाटनकर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन (म.प्र.). सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम (4)
1.	त्रिवेणी जैविक एवं उद्यानिकी सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	DR/UJN/2321/14-9-2016	श्री एस. एल. चौहान, (सहकारी निरीक्षक)

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-865)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-259.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था. कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)
1.	यश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, उज्जैन	DR/UJN/1795/25-8-1980

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः, मैं, के. पाटनकर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन (म.प्र.). सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम (4)
1.	यश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, उज्जैन.	DR/UJN/1795/25-8-1980	श्री एस. एल. चौहान (सहकारी निरीक्षक)

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-866)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-260.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तोबरीखेडा	DR/UJN/487/25-8-1980

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः, मैं, के. पाटनकर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन (म.प्र.). सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम (4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तोबरीखेडा.	DR/UJN/487/25-8-1980	श्री संतोष सांकलिया, (सहकारी निरीक्षक)

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-867)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-261.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करेडी	DR/UJN/755/10-6-1987

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः, मैं, के. पाटनकर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन (म.प्र.). सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम (4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करेडी.	DR/UJN/755/10-6-1987	श्री संतोष सांकलिया, (सहकारी निरीक्षक)

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-868)

के. पाटनकर, उप पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, मर्यादित, उज्जैन मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 19 जनवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-क्यू 2024.-सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./20/उज्जैन, दिनांक के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक/दिनांक (3)	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1.	श्री शिवशंकर बीज उत्पा. कुममी, तहसील खाचरौद	2311/25-7-2016	244/20-10-2022
2.	म. दुग्ध उत्पा. सह. सं. मर्या., चितावलियाखेड़ा	2145/18-8-2015	356/8-12-2016
3.	म. दुग्ध उत्पा. सह. सं. मर्या., बरन्डवा	2146/18-8-2015	356/8-12-2016
4.	म. दुग्ध उत्पा. सह. सं. मर्या., बीजपडो	2152/20-8-2015	356/8-12-2016
5.	अवन्तिका नागरिक बैंक मर्यादित, उज्जैन	69/29-12-1980	326/4-12-2015

अतः, मैं, वी. डी. जडे, (SA) परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 19 जनवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(G-869)

वी. डी. जडे, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 27 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-411.- तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरकोटी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 461, दिनांक 13 दिसम्बर 1989 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2005-954, दिनांक 31 मार्च 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री राकेश कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरकोटी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 461, दिनांक 13 दिसम्बर 1989 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-870)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-412.- कीर्ति अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1115, दिनांक 1 मई 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2016-807, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री राकेश कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीर्ति अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1115, दिनांक 1 मई 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-871)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-413.-पशु संवर्धन कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 447 दिनांक 24 मार्च 1989 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2013-739, दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री एम. एल. कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशु संवर्धन कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सागर विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 447 दिनांक 24 मार्च 1989 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-872)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-414.-विशालराज बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुड़िया, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1475, दिनांक 24 अप्रैल 2014 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2016-912, दिनांक 16 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री रामजी खरे, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशालराज बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुड़िया, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1475, दिनांक 24 अप्रैल 2014 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-873)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-415.- जय किसान आदिवासी सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., बरोदिया गुसाई, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 195, दिनांक 16 फरवरी 1970 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1998-3968, दिनांक 8 जून 1998 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री रिदम जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जय किसान आदिवासी सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., बरोदिया गुसाई, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 195, दिनांक 16 फरवरी 1970 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-874)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-416.-सहयोग ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1281, दिनांक 13 फरवरी 2008 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2011-2881, दिनांक 12 सितम्बर 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री भगतवशरण चौबे, उप अंकेक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहयोग ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1281, दिनांक 13 फरवरी 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-875)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-417.- बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., दरारिया मुर्गा विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1293, दिनांक 1 मार्च 2008 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2016-862, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री भगवतशरण चौबे, उप अंकेक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., दरारिया मुर्गा विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1293, दिनांक 1 मार्च 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-876)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-418.- भारती महिला उपभोक्ता सामग्री क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1238 दिनांक 29 सितम्बर 2007 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2016-918, दिनांक 16 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री प्रभाकर कण्ड्या, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारती महिला उपभोक्ता सामग्री क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1238 दिनांक 29 सितम्बर 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-877)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-419.-सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., दरारिया, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 161, दिनांक 24 फरवरी 1966 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2006-2419, दिनांक 10 अक्टूबर 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री सी. एस. झा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., दरारिया, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 161, दिनांक 24 फरवरी 1966 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-878)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-420.- मछुआ सहकारी समिति मर्या., रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 788, दिनांक 28 सितम्बर 2001 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2013-735, दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री सी. एस. झा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मछुआ सहकारी समिति मर्या., रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 788, दिनांक 28 सितम्बर 2001 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-879)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-421.- बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रेगुवां, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1252, दिनांक 14 दिसम्बर 2007 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2016-817, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री देवेन्द्र कुमार चन्द्राकर, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रेगुवां, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1252, दिनांक 14 दिसम्बर 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-880)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-422.- भूतेश्वर महिला विकास सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1154, दिनांक 8 सितम्बर 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2013-693, दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. कु. दीप्ति गुजरया, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूतेश्वर महिला विकास सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1154, दिनांक 8 सितम्बर 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-881)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-423.- अल्पसंख्यक लेदर एवं चर्म शोधन उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 472, दिनांक 25 मार्च 1990 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2013-728, दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. कु. दीप्ति गुजरया, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अल्पसंख्यक लेदर एवं चर्म शोधन उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 472, दिनांक 25 मार्च 1990 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-882)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-424.-बरौदा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरौदा (रहली), विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 585, दिनांक 2 नवम्बर 1994 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2005-954, दिनांक 31 मार्च 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री राधे श्याम गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बरौदा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरौदा (रहली), विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 585, दिनांक 2 नवम्बर 1994 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-883)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-425.-चौरई तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौरई, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 583, दिनांक 2 नवम्बर 1994 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2013-697, दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री राधे श्याम गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चौरई तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौरई, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 583, दिनांक 2 नवम्बर 1994 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-884)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-426.-विविध शिल्पकला मंदिर विद्यार्थी सहकारी भण्डार मर्या., खुरई, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 271, दिनांक 21 अक्टूबर 1972 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2013-751, दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री देवेन्द्र कुमार चन्द्राकर, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी,

दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विविध शिल्पकला मंदिर विद्यार्थी सहकारी भण्डार मर्या., खुरई, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 271, दिनांक 21 अक्टूबर 1972 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-885)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-427.- ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 109, दिनांक 18 अक्टूबर 1995 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2016-933, दिनांक 16 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री एम. एल. कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 109, दिनांक 18 अक्टूबर 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-886)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-428.- शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 6 मई 1980 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1992-2621, दिनांक 1 अक्टूबर 1992 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री रिदम जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 6 मई 1980 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-887)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-429.-जयश्री नारायण सहकारी मुद्रणालय मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 136, दिनांक 30 जुलाई 2003 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2016-891, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री प्रभाकर कण्डया, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जयश्री नारायण सहकारी मुद्रणालय मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 136, दिनांक 30 जुलाई 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-888)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-430.-कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 122, दिनांक 9 अप्रैल 2001 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2016-883, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री प्रभाकर कण्डया, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 122, दिनांक 9 अप्रैल 2001 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-889)

परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2024-चैत्र 30, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)